रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-12022022-233375
CG-DL-E-12022022-233375

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 107] नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 11, 2022/माघ 22, 1943
No. 107] NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 11, 2022/MAGHA 22, 1943

IndianCode

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 फरवरी, 2022

सा.का.नि. 109(अ).—केंद्रीय सरकार, सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008 (2009 का 6) की धारा 17, धारा 69, धारा 72, धारा 76क और धारा 79 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सीमित दायित्व भागीदारी नियम, 2009 में आगे संशोधन करने हेतु एतद्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सीमित दायित्व भागीदारी (संशोधन) नियम, 2021 है।

(2) ये तारीख 01 अप्रैल 2022 से प्रवृत्त होंगे।

2. सीमित दायित्व भागीदारी नियम, 2009 (जिसे इसके पश्चात उक्त नियमों के रूप में कहा गया है) में, नियम 5 में,-

(क) उप-नियम (2) में,-

(i) प्रथम तथा द्वितीय परंतुक का लोप किया जाएगा;

(ii) तृतीय परंतुक में शब्द "परंतु यह और भी कि", शब्द "परंतु" शब्द रखे जाएंगे;

(ख) उप-नियम (2) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-नियम अंत: स्थापित किया जाएगा, अर्थात:-

"(3) राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण नियम, 2016 यथा आवश्यक परिवर्तन सहित धारा 72 की उप-धारा (2) और उप-धारा (3) के अंतर्गत एक अपील फाइल करने हेतु प्रयोज्य होगा।"

3. उक्त नियम में, नियम 18 में, उप-नियम (2) में, खंड (xi) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात :-

"(xi) प्रस्तावित नाम किसी अन्य सीमित दायित्व भागीदारी या किसी कंपनी के नाम के समरूप अथवा उसके अति सदृश है;"

4. उक्त नियम में, नियम 19 में, उप-नियम (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात :-

"(1) कोई सीमित दायित्व भागीदारी या कोई कंपनी या व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999 (1999 का 47) के तहत किसी रजिस्ट्रीकृत व्यापार चिह्न का स्वत्वधारी, जिसका पहले से ही एक नाम या ट्रेड मार्क है जो तद्नुपरांत शामिल किए गए किसी सीमित दायित्व भागीदारी के नाम अथवा नए नाम के समरूप अथवा अति सदृश है, प्ररूप 23 में वह तद्नुपरांत शामिल की गई सीमित दायित्व भागीदारी को अपना नाम या नया नाम, यथास्थिति, में परिवर्तन करने का निदेश देने के संबंध में प्रादेशिक निदेशक को आवेदन कर सकेगा।

परंतु रजिस्ट्रीकृत व्यापार चिह्न के स्वत्वधारी का कोई आवेदन समावेशन अथवा रजिस्ट्रीकरण अथवा इस अधिनियम के तहत सीमित दायित्व भागीदारी के नाम में परिवर्तन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के भीतर अनुरक्षणीय हो।"

5. उक्त नियम में, नियम 19 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात -

"**19क. धारा 17 की उपधारा (3) के अंतर्गत मौजूदा एलएलपी को नया नाम आवंटित करना.-**

(1) यदि कोई सीमित दायित्व भागीदारी (जिसे इसके पश्चात् 'एलएलपी' के रूप में कहा गया है) ऐसे निदेश के जारी होने की तारीख से तीन महीने की अवधि के भीतर धारा 17 की उप-धारा (1) के अंतर्गत जारी किए गए निदेश के अनुसार, अपने नाम या नए नाम, यथास्थिति, में परिवर्तन करने से चूक जाता है, तो अक्षर "ओआरडीएनसी" (जो 'प्रादेशिक निदेशक के आदेश का अनुपालन नहीं किया गया' शब्दों का संक्षिप्त रूप है), निदेश जारी करने का वर्ष, क्रम संख्या तथा एलएलपी का मौजूदा एलएलपीआईएन, एलएलपी द्वारा किसी और अधिनियम या विलेख के बिना एलएलपी का नया नाम होगा और रजिस्ट्रार एलएलपी के रजिस्टर में उस नए नाम की तद्नुसार प्रविष्टि कर देगा और प्ररूप संख्या 16क में समावेशन का एक नया प्रमाण पत्र जारी करेंगे:

परंतु, उप-नियम (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी लागू नहीं होगी, यदि एलएलपी द्वारा फाइल किए गए ई-प्ररूप एलएलपी प्ररूप संख्या – 5 प्रादेशिक निदेशक द्वारा निदेश जारी करने की तारीख से तीन महीने की अवधि समाप्त होने पर निस्तारण हेतु लंबित हो और बाद में उक्त ई-प्ररूप अस्वीकार न कर दिया गया हो।

(2) एलएलपी, जिसका नाम धारा 17 की उप-धारा (3) के तहत परिवर्तित हो गया है, धारा 21 के उपबंधों का तुरंत आवश्यक अनुपालन करेगा और कथन, 'प्रादेशिक निदेशक के आदेश का अनुपालन नहीं किया गया (एलएलपी अधिनियम, 2008 की धारा 17 के तहत)' एलएलपी के नाम के नीचे कोष्ठकों में उनके बीजकों पर, कार्यालयी पत्राचारों और प्रकाशनों में उल्लिखित किया जाएगा :

- परंतु कोई ऐसा कथन उल्लिखित किया जाना अपेक्षित नहीं होगा, यदि एलएलपी धारा 19 के अनुसार अपने नाम में तद्नुपरांत परिवर्तन करता है।"

6. उक्त नियम में, नियम 37 के पश्चात्, निम्नलिखित नियमों को अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात :-

"37क. शास्तियों का न्यायनिर्णयन.-

(1) केंद्रीय सरकार इस अधिनियम के उपबंधों के तहत, शास्तियों के न्यायनिर्णयन के लिए न्यायनिर्णायक अधिकारियों के रूप में अपने किसी अधिकारी, जिसका रैंक रजिस्ट्रार से कम न हो, को नियुक्त कर सकेगी।

(2) शास्ति का न्यायनिर्णय करने से पूर्व, न्यायनिर्णायक अधिकारी सीमित दायित्व भागीदारी, भागीदार अथवा सीमित दायित्व भागीदारी के नामित भागीदार अथवा कोई अन्य व्यक्ति, जिसने इस अधिनियम के तहत अनुपालन नहीं किया है अथवा चूक किया है, यथास्थिति, को एक लिखित कारण बताओ नोटिस, नोटिस में विनिर्दिष्ट की गई ऐसी अवधि (जो उस पर तामिल करने की तारीख से पंद्रह दिन से कम तथा तीस दिन से अधिक नहीं होगी) के भीतर इस बाबत जारी करेगा कि क्यों नहीं उसके ऊपर शास्ति अधिरोपित की जाए।

(3) उप-नियम (2) के तहत प्रत्येक नोटिस में, ऐसी सीमित दायित्व भागीदारी, इसके भागीदार अथवा इसके नामित भागीदार अथवा किसी अन्य व्यक्ति, यथास्थिति, के द्वारा इस अधिनियम के तहत अभिकथित रूप से किए गए अथवा किए गए गैर-अनुपालन अथवा चूक, का स्वरूप इंगित किया जाएगा और इस अधिनियम के

सुसंगत दांडिक उपबंधों और अधिकतम शास्ति जो ऐसे सीमित दायित्व भागीदारी, इसके भागीदारों, अथवा नामित भागीदारों, अथवा किसी अन्य व्यक्ति, यथास्थिति, पर अभिरोपित की जा सकती है, की ओर भी ध्यान आकर्षित किया जाएगा।

(4) ऐसे नोटिस का जबाव नोटिस में यथाविनिर्दिष्ट अवधि के भीतर ही इलेक्ट्रोनिक ढंग में फाइल किया जाएगा:

परंतु न्यायनिर्णायक अधिकारी, लिखित में कारणों को अभिलेख करने के लिए, ऊपर उल्लिखित अवधि में और विस्तार कर सकेगा है, जो पंद्रह दिन की अवधि से अधिक नहीं होगा, यदि सीमित दायित्व भागीदारी या इसके भागीदारों या नामित भागीदारों या कोई अन्य व्यक्ति, यथास्थिति, न्यायनिर्णायक अधिकारी को इस बात से समाधान करता है कि उसके पास नोटिस का विहित अवधि के दौरान प्रत्युत्तर नहीं देने का पर्याप्त कारण है अथवा न्यायनिर्णायक अधिकारी के पास यह विश्वास करने का यह कारण है कि सीमित दायित्व भागीदारी अथवा इसके भागीदारों अथवा नामित भागीदारों या किसी अन्य व्यक्ति को एक अपेक्षाकृत लघु नोटिस प्राप्त हुआ है और उसके पास इसका जबाव देने का युक्तियुक्त समय नहीं था।

(5) ऐसी सीमित दायित्व भागीदारी अथवा इसके भागीदारों अथवा नामित भागीदारों अथवा कोई अन्य व्यक्ति, यथास्थिति, के द्वारा प्रस्तुत किए गए उत्तर पर विचार करने के बाद, यदि कोई न्यायनिर्णायक अधिकारी की राय है कि व्यक्तिगत रूप से उपस्थिति अपेक्षित है, वह ऐसी सीमित दायित्व भागीदारी की, इसके प्राधिकृत प्रतिनिधि, अथवा भागीदारों या नामित भागीदारों या किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से, उपस्थिति के लिए तारीख निर्धारित करते हुए उत्तर प्राप्त करने की तारीख से दस कार्यदिवसों की अवधि भीतर, चाहे व्यक्तिगत रूप से अथवा अपने प्राधिकृत प्रतिनिधि के द्वारा एक नोटिस जारी करेगा :

परंतु यदि कोई व्यक्ति, जिसे उप-नियम (2) के तहत नोटिस जारी किया जाता है, व्यक्तिगत रूप से या अपने प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से एक मौखिक अभ्यावेदन प्रस्तुत करना चाहता है, और उसने इसे इलेक्ट्रॉनिक ढंग में अपना उत्तर प्रस्तुत करते समय दर्शाया है, न्यायनिर्णायक अधिकारी ऐसे व्यक्ति को उपस्थिति की तारीख निर्धारित करने के पश्चात् ऐसा अभ्यावेदन प्रस्तुत करने की अनुज्ञा देगा।

(6) सुनवाई की तारीख निर्धारित होने और संबंधित व्यक्ति की बात सुनने के लिए उपयुक्त अवसर प्रदान करने के पश्चात्, न्यायनिर्णायक अधिकारी, लिखित में कारणों को अभिलेख करने के अध्यधीन लिखित में कोई आदेश, न्यायनिर्णयन के लिए आदेश सहित, पारित कर सकता है, जैसा कि वह ठीक समझे :

परंतु सुनवाई के पश्चात्, न्यायनिर्णायक अधिकारी संबंधित व्यक्ति से यह अपेक्षा रख सकता है कि वह चूक के अवधारण के लिए सुसंगत, उप-नियम (2) के तहत नोटिस से संबंधित कतिपय अन्य मुद्दों पर लिखित में अपना जवाब प्रस्तुत करे।

(7) न्यायनिर्णायक अधिकारी एक आदेश पारित करेगा –

(क) उप-नियम (2) में विनिर्दिष्ट अवधि अथवा ऐसी विस्तारित अवधि, जैसा कि उल्लिखित है, के समाप्त होने की तीस दिनों की अवधि के भीतर, जब उप-नियम (5) के तहत व्यक्तिगत उपस्थिति अपेक्षित नहीं थी;

(ख) नियम (2) के तहत नोटिस जारी होने की तारीख के नब्बे दिन के भीतर, जब कोई व्यक्ति उप-नियम(5) के अंतर्गत न्यायनिर्णायक अधिकारी के समक्ष उपस्थित हुआ था :

परंतु यदि ऊपर उल्लिखित अवधि के पश्चात कोई आदेश पारित किया जाता है, तो न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा विलंब के कारण अभिलेख किए जाएंगे और ऐसा कोई भी आदेश सिर्फ ऐसे तीस दिन या नब्बे दिन की अवधि, यथा-स्थिति, की समाप्ति के पश्चात्, इसके पारित होने की वजह से विधिमान्य नहीं होगा।

(8) न्यायनिर्णायक अधिकारी का प्रत्येक आदेश उनके द्वारा सम्यक रूप से हस्ताक्षरित होगा और उस पर तारीख दी जाएगी और उसमें उप-नियम (5) के तहत व्यक्तिगत उपस्थिति के लिए अपेक्षित कारणों का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाएगा।

(9) न्यायनिर्णायक अधिकारी अपने द्वारा पारित आदेश की प्रति संबंधित सीमित दायित्व भागीदारी, इसके भागीदार अथवा नामनिर्दिष्ट भागीदार अथवा किसी अन्य व्यक्ति अथवा उन सभी व्यक्तियों अथवा प्रादेशिक निदेशक को प्रेषित करेगा तथा इस आदेश की एक प्रति वेबसाइट पर भी अपलोड की जाएगी।

(10) इस नियम के लिए, न्यायनिर्णायक अधिकारी निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग करेगा, अर्थात:

(क) लिखित में कारणों को अभिलेख करने के पश्चात, मामले के तथ्यों तथा परिस्थितियों से अवगत किसी व्यक्ति को आहूत करना तथा उसकी उपस्थिति को अनिवार्य बनाना।

(ख) साक्ष्य के लिए अथवा किसी दस्तावेज को प्रस्तुत करने के लिए आदेश देना, जो न्यायनिर्णायक अधिकारी के राय में, जांच की विषय वस्तु के लिए उपयोगी अथवा सुसंगत हो सकता है।

(11) यदि कोई व्यक्ति उप-नियम (5) अथवा उप-नियम (10) के तहत न्यायनिर्णायक अधिकारी के समक्ष यथा-अपेक्षित रूप से जबाव देने में चूक करता है अथवा उपेक्षा करता है अथवा उपस्थित होने से इंकार करता है, न्यायनिर्णायक अधिकारी ऐसा करने के लिए कारणों को रिकार्ड करने के पश्चात, ऐसे अधिकारी की अनुपस्थिति में शास्ति को अधिरोपित करते हुए आदेश पारित कर सकता है।

(12) शास्ति का भुगतान केवल कारपोरेट कार्य मंत्रालय पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा।

(13) इस अधिनियम के तहत शास्तियों के माध्यम से वसूल की गई सभी राशि भारत की समेकित निधि में जमा की जाएगी।

स्पष्टीकरण 1.- (क) इस नियम के लिए, निबंधन "विनिर्दिष्ट रीति" का आशय धारा 13 की उप-धारा (2) तथा इसके तहत बनाए गए नियमों में यथा-विनिर्दिष्ट दस्तावेजों की उपलब्धता कराने से होगा और रजिस्ट्री में फाइल किए गए दस्तावेजों के बारे में पता (इलेक्ट्रॉनिक मेल आईडी सहित) के संदर्भ में ब्यौरा का उपयोग इस नियम के तहत संप्रेषण के लिए किया जाएगा।

(ख) किसी सीमित दायित्व भागीदारी, इसके भागीदारों अथवा नामनिर्दिष्ट भागीदारों अथवा किसी अन्य व्यक्तियों द्वारा दस्तावेजों की उपलब्धता कराने के कार्य में रजिस्ट्रीकृत कार्यालय में तथा किसी अन्य पते, जो नियम 16 की उप-नियम (3) के तहत ऐसे प्ररूप में प्रयोजन के लिए सीमित दायित्व भागीदारी द्वारा विशेष रूप से उल्लिखित किया गया हो, पर त्वरित डाक अथवा कूरियर सेवा अथवा इलेक्ट्रॉनिक प्रेषण के तहत किसी अन्य रीति से उपलब्ध कराना शामिल होगा।

(ग) डाक द्वारा परिदान की स्थिति में, ऐसी सेवा को उस समय पर प्रभावी समझा जाएगा जिस समय पर दस्तावेज डाक के सामान्य क्रम में वितरित किया जाएगा।

स्पष्टीकरण 2.- इस नियम के प्रयोजनों के लिए, एतद्वारा यह स्पष्ट किया जाता है की ई न्यायनिर्णयन मंच के सृजन के बाद इलेक्ट्रॉनिक ढंग में उत्तर प्रस्तुत करने की अपेक्षा अनिवार्य बन जाएगी।

37ख. न्यायनिर्णायक अधिकारी के आदेश के विरुद्ध अपील. – (1) न्यायनिर्णायक अधिकारी के आदेश के विरुद्ध प्रत्येक अपील, इस मामले में अधिकारिता रखने वाले प्रादेशिक निदेशक के समक्ष उस तारीख से साठ दिन की अवधि के भीतर फाइल की जाएगी जिस तारीख को न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा किए गए आदेश की प्रति **प्ररूप सं. 33 - एलएलपी एडी-ञ** में व्यथित पक्ष को प्राप्त होती है, अपील के आधार को निर्धारित करता है और इसके साथ उस आदेश की प्रमाणित प्रति संलग्न की जाएगी जिसके विरुद्ध अपील मांगी गई है:

परंतु यह कि प्रादेशिक निदेशक साठ दिन की उक्त अवधि की समाप्ति के बाद लेकिन तीस दिनों की अतिरिक्त अधिकतम अवधि अपील पर विचार कर सकता है, यदि उसका समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी को यथाविनिर्दिष्ट अवधि के भीतर अपील फाइल करने से पर्याप्त कारण से रोका गया था:

परंतु यह भी कि जहाँ पक्षकार का प्रतिनिधित्व एक प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा किया जाता है, वहाँ प्रतिनिधि के पक्ष में इस प्रकार के प्रमाणन और उस पर ऐसे प्राधिकृत प्रतिनिधि की लिखित सम्मति की एक प्रति भी अपील के साथ संलग्न की जाएगी:

परंतु यह भी कि प्ररूप संख्या 33 – **एलएलपी एडी-ञ** में अपील में एक से अधिक आदेश के खिलाफ़ राहत की मांग नहीं की जाएगी जब तक कि प्रार्थित राहत परिणामी न हों।

(2) इस नियम के तहत फाइल की गई प्रत्येक अपील के साथ छोटे एलएलपी के लिए एक हजार रुपये और छोटे एलएलपी के अलावा अन्य के लिए पच्चीस सौ रुपये की फीस देनी होगी।

37ग. अपील का रजिस्ट्रीकरण. – (1) अपील के प्राप्त होने पर, प्रादेशिक निदेशक का कार्यालय ऐसी अपील पर तारीख का पृष्ठांकन करेगा और ऐसे पृष्ठांकन पर हस्ताक्षर करेगा।

(2) यदि, संवीक्षा करने पर, अपील क्रम में पाई जाती है तो इसे सम्यक रूप से रजिस्ट्रीकृत किया जाएगा और एक क्रमांक दिया जाएगा:

परंतु यह की जहाँ अपील दोषपूर्ण पाई जाती है, तो प्रादेशिक निदेशक, अपीलार्थी को दोष की प्रकृति और दोष में सुधार करने के लिए प्रादेशिक निदेशक से अपीलार्थी द्वारा सूचना प्राप्त होने की तारीख के बाद, समय दे सकता है जो 14 दिन से कम न हो और यदि अपीलार्थी उपरोक्त अनुमत समय अवधि के भीतर इस तरह की त्रुटियों को ठीक करने में विफल रहता है तो प्रादेशिक निदेशक आदेश द्वारा और लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों से ऐसी अपील को दर्ज करने से इनकार कर सकता है और अपीलार्थी को इस मनाही की सूचना सात दिन की अवधि के भीतर सूचित करेगा:

परंतु यह भी कि प्रादेशिक निदेशक, लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों के लिए, उपरोक्त प्रथम परंतुक में निर्दिष्ट अवधि को चौदह दिन की अवधि तक और बढ़ा सकता है यदि कोई अपीलकर्ता प्रादेशिक निदेशक को यह समाधान करता है कि अपीलार्थी के पास पहले परंतुक में दी गई चौदह दिन की अवधि के अंदर त्रुटियों में सुधार नहीं करने के लिए पर्याप्त कारण थे।

37घ. प्रादेशिक निदेशक द्वारा अपील का निपटान. –

(1) अपील की स्वीकृति पर, प्रादेशिक निदेशक उस न्यायनिर्णायक अधिकारी को, जिसके आदेश के विरुद्ध अपील की गई है, अपील की प्रति प्रस्तुत करेगा और साथ ही एक नोटिस देगा जिसमें न्यायनिर्णायक अधिकारी से ऐसी अवधि के भीतर अपना उत्तर दाखिल करने की अपेक्षा की जाएगी जिसकी अवधि इक्कीस दिन से अधिक की नहीं, जिसे उक्त नोटिस में प्रादेशिक निदेशक द्वारा निर्धारित किया जा सकेगा:

परंतु यह कि प्रादेशिक निदेशक, लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों से, उपरोक्त उप नियम (1) में निर्दिष्ट अवधि को इक्कीस दिन की अतिरिक्त अवधि के लिए बढा सकते हैं यदि न्यायनिर्णायक अधिकारी प्रादेशिक निदेशक को समाधान करता है कि उसके पास इक्कीस दिन की उक्त अवधि के भीतर अपील का उत्तर दाखिल करने में सक्षम नहीं होने का पर्याप्त कारण है।

(2) न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा प्रादेशिक निदेशक के समक्ष फाइल किए गए प्रत्येक उत्तर, आवेदन और लिखित अभ्यावेदन की प्रति, न्यायनिर्णायक अधिकारी के द्वारा तुरंत अपीलार्थी को प्रस्तुत की जाएगी।

(3) प्रादेशिक निदेशक पार्टियों को अपील की सुनवाई की तारीख अधिसूचित करेगा, जो कि अपील की सुनवाई की तारीख संबंधी ऐसी अधिसूचना की तारीख से तीस दिन पहले की तारीख नहीं होगी।

(4) सुनवाई के लिए नियत तारीख पर प्रादेशिक निदेशक, लिखित में दर्ज कारणों के अध्यधीन, सुनवाई की तारीख को भविष्य में स्थगन करने के आदेश सहित, कोई भी आदेश पारित कर सकता है जो वे ठीक समझे।

(5) यदि अपीलार्थी या न्यायनिर्णायक अधिकारी सुनवाई के लिए नियत तारीख पर प्रस्तुत नहीं होते हैं तो प्रादेशिक निदेशक एकपक्षीय रूप से अपील का निपटान कर सकेगा:

परंतु यह कि जहाँ अपीलार्थी बाद में उपस्थित होता है और प्रादेशिक निदेशक को अपनी अनुपस्थिति के पर्याप्त कारण से समाधान करता है, तो प्रादेशिक निदेशक एकपक्षीय आदेश को हटाकर अपील को बहाल कर सकता है।

(6) इस नियम के तहत पारित प्रत्येक आदेश दिनांकित होगा और प्रादेशिक निदेशक द्वारा सम्यक रूप से हस्ताक्षरित होगा।

(7) प्रादेशिक निदेशक द्वारा पारित प्रत्येक आदेश की एक प्रामाणिक प्रति न्यायनिर्णायक अधिकारी और अपीलकर्ता तथा केंद्रीय सरकार को भी पहुंचाई जाएगी।"

7. उक्त नियम में, प्ररूप 16 के बाद, निम्नलिखित प्ररूप अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात:-

"प्ररूप संख्या 16क

[नियम 19क देखें]

भारत सरकार
कारपोरेट कार्य मंत्रालय
कंपनी रजिस्ट्रार कार्यालय
< कंपनी रजिस्ट्रार कार्यालय का पता>

प्रादेशिक निदेशक के आदेश का अनुपालन नहीं होने के कारण नाम परिवर्तन के अनुसरण में निगमन का प्रमाण-पत्र

[सीमित दायित्व भागीदारी नियम, 2009 के नियम 19क के साथ पठित सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008 की धारा 17(3) के अनुसरण में]

सीमित दायित्व भागीदारी पहचान संख्या (एलएलपीआईएन): <एलएलपीआईएन>

मैं एतद्वारा यह प्रमाणित करता हूँ की सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008 की धारा 17 की उपधारा (3) के तहत एलएलपी का नाम इस प्रमाणपत्र की तारीख से <एलएलपी का पिछला नाम> से बदलकर < एलएलपी का नया नाम> किया गया है।

मेरे हस्ताक्षर के लिए <उस शहर का नाम जहां कंपनी रजिस्ट्रार कार्यालय स्थित है> में दो हजार को <कार्य मद के अनुमोदन का वर्ष शब्दों में> के <कार्य मद के अनुमोदन का महीना शब्दों में> की <कार्य मद के अनुमोदन की तारीख शब्दों में (अर्थात् प्रथम, द्वितीय आदि)> को दिया गया

< कार्य मद को अनुमोदित करने वाले प्राधिकृत अधिकारी का पूरा नाम>

< सहायक कंपनी रजिस्ट्रार/उप कंपनी रजिस्ट्रार/कंपनी रजिस्ट्रार>

कंपनी रजिस्ट्रार

< कंपनी रजिस्ट्रार कार्यालय का नाम>

मुहर :

कंपनी रजिस्ट्रार/उप कंपनी रजिस्ट्रार/सहायक कंपनी रजिस्ट्रार

(राज्य)

कंपनी रजिस्ट्रार कार्यालय में उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार मेल का पता

< एलएलपी का नाम>

<एलएलपी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का पता>"

8. उक्त नियमों में, **उपाबंध 'क'** के स्थान पर, निम्नलिखित उपाबंध रखा जाएगा, अर्थात:-

"उपाबंध 'क'

1. एक फर्म या एक प्राइवेट कंपनी या एक गैर-सूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनी का सीमित दायित्व भागीदारी में परिवर्तन सहित सीमित दायित्व भागीदारी के रजिस्ट्रीकरण के लिए:-

(क) सीमित दायित्व भागीदारी जिसका योगदान 1 लाख रुपये से अधिक न हो	500 रुपए
(ख) सीमित भागीदारी जिसका योगदान 1 लाख रुपये से अधिक हो किंतु 5 लाख रुपये से अधिक न हो	2,000 रुपए
(ग) सीमित दायित्व भागीदारी जिसका योगदान 5 लाख रुपये से अधिक हो किंतु 10 लाख रुपये से अधिक न हो	4,000 रुपये
(घ) सीमित दायित्व भागीदारी जिसका योगदान 10 लाख रुपये से अधिक हो किंतु 25 लाख रुपये से अधिक न हो	5,000 रुपये
(ड़) सीमित दायित्व भागीदारी जिसका योगदान 25 लाख रुपये से अधिक हो किंतु 1 करोड़ रुपये से अधिक न हो	10,000 रुपये
(च) सीमित दायित्व भागीदारी जिसका योगदान 1 करोड़. रुपये से अधिक हो	25,000 रुपये

2. योगदान के बढ़े हुए खंड पर देय फीस और योगदान के पूर्व खंड पर देय फीस के बीच अंतर की फीस प्ररूप 3 के द्वारा जमा की जाएगी।

IndiaCode

3. किसी भी दस्तावेज, प्ररूप, कथन, नोटिस, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड सॉल्वेंसी, वार्षिक विवरणी और एक आवेदन के साथ एक फर्म या एक प्राइवेट कंपनी या एक गैर सूचीबद्ध पब्लिक कंपनी को अधिनियम या इन नियमों के द्वारा फाइल, रजिस्ट्रीकृत या रिकॉर्ड करने के लिए एलएलपी में बदलने हेतु फाइलिंग, रजिस्ट्रीकरण या रिकॉर्ड करने के लिए:

(क) सीमित दायित्व भागीदारी जिसका योगदान 1 लाख रुपये से अधिक न हो — 50 रुपए

(ख) सीमित भागीदारी जिसका योगदान 1 लाख रुपये से अधिक हो किंतु 5 लाख रुपये से अधिक न हो — 100 रुपये

(ग) सीमित दायित्व भागीदारी जिसका योगदान 5 लाख रुपये से अधिक हो किंतु 10 लाख रुपये से अधिक न हो — 150 रुपये

(घ) सीमित दायित्व भागीदारी जिसका योगदान 10 लाख रुपये से अधिक हो किंतु 25 लाख रुपये से अधिक न हो — 200 रुपये

(ड) सीमित दायित्व भागीदारी जिसका योगदान 25 लाख रुपये से अधिक हो किंतु 1 करोड़ रुपये से अधिक न हो — 400 रुपये

(च) सीमित दायित्व भागीदारी जिसका योगदान 1 करोड़ रुपये से अधिक हो — 600 रुपये

4. नामनिर्दिष्ट भागीदार की पहचान संख्या की सूचना, एक भागीदार या नामनिर्दिष्ट भागीदार के नाम, पता, पदनाम में परिवर्तन, समाप्ति, नियुक्ति के नोटिस के रजिस्ट्रीकरण, फाइलिंग और रिकॉर्डिंग की फीस और एलएलपी में एक भागीदार या नामनिर्दिष्ट भागीदार बनने के लिए सहमति प्ररूप संख्या 4 में:

छोटी एलएलपी के लिए	50 रुपए
छोटी एलएलपी से अन्य के लिए	150 रुपए

5. (1) एक फर्म या एक प्राइवेट कंपनी या एक गैर-सूचीबद्ध पब्लिक कंपनी को एलएलपी में परिवर्तन के आवेदन के अतिरिक्त, किसी आवेदन के लिए फीस निम्नलिखित होगी:

क्र.सं.	**आवेदन**	**छोटी एलएलपी (रुपये में)**	**छोटी एलएलपी के अतिरिक्त (रुपये में)**
(क)	अधिनियम की धारा 16 के तहत नाम के आरक्षण के लिए	200 रुपये	200 रुपये
(ख)	अधिनियम की धारा 17 के तहत नाम में परिवर्तन के लिए निर्देशन	5,000 रुपये	5,000 रुपये
(ग)	नियम 37 के तहत निष्क्रिय सीमित दायित्व भागीदारी का नाम हटाना	500 रुपये	1,000 रुपये

(2) नियम 18(3) के तहत एक आवेदन के लिए शुल्क:

(क)	नियम 18(3) के तहत नाम आरक्षण के लिए आवेदन	10,000 रुपए
(ख)	नियम 18(3) के तहत नाम के नवीनीकरण के लिए आवेदन	5,000 रुपए

6. दस्तावेजों की जांच या उसकी सत्यापित प्रति अभिप्राप्त करने के लिए फीस निम्न प्रकार से होगी:-

(क) धारा 36 के तहत एक एलएलपी के दस्तावेजों की जांच के लिए	50 रुपए
(ख) धारा 36 के तहत रजिस्ट्रार द्वारा सत्यापित किसी दस्तावेज के प्रति या सार के लिए	5 रुपए प्रति पृष्ठ या इसके गुणात्मक भाग के अनुसार

IndiaCode

7. विदेशी सीमित दायित्व भागीदारी द्वारा किसी प्ररूप या लेखा कथन और शोधन क्षमता या नोटिस या दस्तावेज फाइल करने के लिए फीस

(क) नियम 34(1) के तहत दस्तावेज फाइल करने के लिए	5,000 रुपए
(ख) कोई अन्य प्ररूप या लेखा कथन और शोधन क्षमता या नोटिस या दस्तावेज फाइल करने के लिए	1,000 रुपए

8. विलंब से प्ररूपों को फाइल करने के लिए निम्न सारणी के अनुसार अतिरिक्त फीस लागू होगी

क्र.सं.	**विलंब की अवधि**	**लघु एलएलपी**	**लघु एलएलपी के अतिरिक्त**
क	15 दिन तक	एकबारगी	एकबारगी
ख	15 दिन से अधिक और 30 दिन तक	सामान्य फाइलिंग फीस का दोगुना	सामान्य फाइलिंग फीस का चार गुणा
ग	30 दिन से अधिक और 60 दिन तक	सामान्य फाइलिंग फीस का चार गुणा	सामान्य फाइलिंग फीस का आठ गुणा
घ	60 दिन से अधिक और 90 दिन तक	सामान्य फाइलिंग फीस का छह गुणा	सामान्य फाइलिंग फीस का बारह गुणा
ङ	90 दिन से अधिक और 180 दिन तक	सामान्य फाइलिंग फीस का दस गुणा	सामान्य फाइलिंग फीस का बीस गुणा
च	180 दिन से अधिक और 360 दिन तक	सामान्य फाइलिंग फीस का पंद्रह गुणा	सामान्य फाइलिंग फीस का तीस गुणा
छ	360 दिन से अधिक	प्ररूप 8 और प्ररूप 11 के अतिरिक्त प्ररूपों के लिए सामान्य फाइलिंग फीस का 25 गुणा। प्ररूप 8 और प्ररूप 11 के लिए, सामान्य फाइलिंग फीस का 15 गुणा तथा 360 दिनों से अधिक विलंब के पश्चात् प्रत्येक दिन के लिए 10/- रुपए अतिरिक्त	प्ररूप 8 और प्ररूप 11 के अतिरिक्त प्ररूपों के लिए सामान्य फाइलिंग फीस का 50 गुणा। प्ररूप 8 और प्ररूप 11 के लिए, सामान्य फाइलिंग फीस 30 गुणा तथा 360 दिनों से अधिक विलंब के पश्चात् प्रत्येक दिन के लिए 20/- रुपए अतिरिक्त

9. उक्त नियमों में, प्ररूप 32 के पश्चात्, निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात:-

"प्ररूप सं. 33 - एलएलपी एडीजे **सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008 की धारा 76क और सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2009 के नियम 37ख के अनुसरण में**		**अपील ज्ञापन**

प्ररूप की भाषा 0 अंग्रेजी 0 हिंदी

प्ररुप फाइल करने के लिए अनुदेश किट देखें।

प्रादेशिक निदेशक के समक्ष

सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008 के मामले में

और

अपील के मामले में आदेश के विरूद्ध किया गया द्वारा

1. *अपीलार्थी का प्रवर्ग
2. *सीमित दायित्व भागीदारी पहचान संख्या (एलएलपीआईएन)/विदेशी सीमित दायित्व भागीदारी पहचान संख्या (एफएलएलपीआईए) (पूर्व पूरित)
3. (क) सीमित दायित्व भागीदारी (एलएलपी) का नाम/विदेशी सीमित दायित्व भागीदारी(एफएलएलपी) का नाम
 (ख) भारत में व्यवसाय का मुख्य स्थान या रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का पता
 (ग) सीमित दायित्व भागीदारी (एलएलपी)/विदेशी सीमित दायित्व भागीदारी (एफएलएलपी) का ई-मेल पता
4. *प्रत्यर्थी का ब्यौरा
 (क) न्यायनिर्णायक अधिकारी
 (ख) पता.....
5. *धारा जिसके तहत शास्ति लगाई गई थी

6. * अधिरोपित की गई शास्ति (राशि रुपये में)
7. *विलंब के कारण
8. प्ररूप संख्या विनिर्दिष्ट करें (यदि कोई हो)
9. उपर्युक्त निर्दिष्ट प्ररूप का एसआरएन
10. *मामले का सार
11. *अपील के आधार
12. *मांगी गई राहत
13. *मांगी गई अंतरिम राहत, यदि कोई हो
14. *शास्ति आदेश की सत्यापित प्रति जारी करने की तारीख
15. देय तारीख जिसके द्वारा आदेश फाइल किया जाना है
16. दिनों का विलंब
17. *प्रादेशिक निदेशक की अधिकारिता

अपीलार्थी यह घोषणा करता है कि अपील की विषयवस्तु प्रादेशिक निदेशक के अधिकार क्षेत्र में आती है:

संलग्नक	**संलग्नकों की सूची**
1. *आदेश की सत्यापित प्रति, जिसके विरूद्ध अपील की गई है	**संलग्न**
2. वैकल्पिक अनुलग्नक, यदि कोई हो	**सलंग्न**
	संलग्नक हटाएं

घोषणा

- *मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार, इस प्ररूप और संलग्नक में दी गई सूचना सत्य और पूर्ण है।
- मैं कैप्शन मामले में चूक में नाम निर्दिष्ट हिस्सेदार के रूप में अपनी व्यक्तिगत क्षमता के अनुसार इस प्ररूप को फाइल कर रहा हूं और एतद्वारा यह प्रमाणित करता हूं कि इसमें इस प्ररूप की विषयवस्तु के संबंध में सीमित देयता भागीदारी अधिनियम, 2008 और इसके अधीन बनाए गए नियमों की अपेक्षाओं का अनुपालन किया गया है।

IndiaCode

- मैं कैप्शन मामले में प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में अपनी व्यक्तिगत क्षमता में इस प्ररूप को फाइल कर रहा हूं और एतद्वारा यह प्रमाणित करता हूं कि इस प्ररूप की विषयवस्तु के संबंध में सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008 और इसके अधीन बनाए गए नियमों की अपेक्षाओं का अनुपालन किया गया है।
- *मैं यह भी प्रमाणित करता हूं कि अनुलग्नक सहित इस प्ररूप में ऊपर दी गई सभी सूचनाएं सत्य, सही और पूर्ण हैं और सीमित देयता भागीदारी अधिनियम, 2008 की अपेक्षाओं के अनुरूप है। इसमें किसी भी तथ्य को छिपाया नहीं गया है।
- *आगे यह भी घोषणा की जाती है कि किसी प्राधिकरण के समक्ष इसी तरह के मामले में कोई अन्य अपील, वाद, सिविल पुनरीक्षण या कोई अन्य विधिक कार्यवाही लंबित नहीं है।

*नामनिर्दिष्ट भागीदार/प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा डिजीटल
रूप में हस्ताक्षर किया जाना

*नामनिर्दिष्ट भागीदार का डीपीआईएन/अपीलार्थी के रूप
में डीपीआईएन या अधिकृत प्रतिनिधि का आयकर पैन

संशोधित प्ररूप की जांच करें पूर्व संवीक्षा जमा करें"।

[फा. सं. 01/03/2021-सीएल.V]

के. वी. आर. मूर्ति, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल नियम, दिनांक 1 अप्रैल, 2009 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि.229(अ) द्वारा प्रकाशित किए गए थे और दिनांक 18 सितंबर, 2018 की अधिसूचना संख्या का.आ.896(अ) द्वारा अंतिम बार संशोधित किए गए।

IndiaCode

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th February, 2022

G.S.R. 109(E).—In exercise of the powers conferred by sections 17, 69, 72, 76A and 79 of the Limited Liability Partnership Act, 2008 (6 of 2009), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Limited Liability Partnership Rules, 2009, namely: - .

1. (1) These rules may be called the Limited Liability Partnership (Amendment) Rules, 2022.

(2) They shall come into force with effect from the 01st April, 2022.

2. In the Limited Liability Partnership Rules, 2009 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 5, -

(a) in sub-rule (2),-

(i) the first and second provisos shall be omitted;

(ii) in the third proviso, for the words "Provided also" the word "Provided" shall be substituted;

(b) after sub-rule (2), the following sub-rule shall be inserted, namely:-

"(3) The National Company Law Appellate Tribunal Rules, 2016 mutatis mutandis shall be applicable for filing an appeal under sub-sections (2) and (3) of section 72.

3. In the said rules, in rule 18, in sub-rule (2), for clause (xi), the following clause shall be substituted, namely: -

"(xi) the proposed name is identical with or too nearly resembles the name of any other limited liability partnership or a company;".

4. In the said rules, in rule 19, for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely: -

"(1) A limited liability partnership or a company or a proprietor of a registered trade mark under the Trade Marks Act, 1999 (47 of 1999) which already has a name or trade mark which is similar to or which too nearly resembles the name or new name of a limited liability partnership incorporated subsequently, may apply to the

Regional Director in Form 23 to give a direction to that limited liability partnership incorporated subsequently to change its name or new name, as the case may be:

Provided that an application of the proprietor of the registered trade mark shall be maintainable within a period of three years from the date of incorporation or registration or change of name of limited liability partnership under the Act.".

5. In the said rules, after rule 19, the following rule shall be inserted, namely: -

"19A. Allotment of new name to existing LLP under sub-section (3) of section 17. –

(1) In case a Limited Liability Partnership (herein after referred to as "LLP") fails to change its name or new name, as the case may be, in accordance with the direction issued under sub-section (1) of section 17 within a period of three months from the date of issue of such direction, the letters "ORDNC" (which is an abbreviation of the words "Order of Regional Director Not Complied"), the year of passing of the direction, the serial number and the existing LLPIN of the LLP shall become the new name of the LLP without any further act or deed by the LLP, and the Registrar shall accordingly make entry of the new name in the register of LLP and issue a fresh certificate of incorporation in Form No. 16A:

Provided that nothing contained in sub-rule (1) shall apply in case e-form LLP Form No-5 filed by the LLP is pending for disposal at the expiry of three months from the date of issue of direction by Regional Director unless the said e-form is subsequently rejected.

(2) The LLP whose name has been changed under sub-section (3) of section 17 shall at once make necessary compliance with the provisions of section 21 and the statement, "Order of Regional Director Not Complied (under section 17 of the LLP Act, 2008)" shall be mentioned in brackets below the name of LLP on its invoices, official correspondence, and publications:

Provided that no such statement shall be required to be mentioned in case the LLP subsequently changes its name in accordance with section 19.".

6. In the said rules, after rule 37, the following rules shall be inserted, namely: —

"37A. Adjudication of penalties. –

(1) The Central Government may appoint any of its officers, not below the rank of Registrar, as adjudicating officers for adjudging penalty under the provisions of the Act.

(2) Before adjudging penalty, the adjudicating officer shall issue a written notice, to the limited liability partnership, partner or designated partner of a limited liability partnership or any other person who has committed non-compliance or made default under the Act, as the case may be, to show cause, within such period as may be specified in the notice (not being less than fifteen days and not more than thirty days from the date of service thereon), why the penalty should not be imposed on it or him.

(3) Every notice issued under sub-rule (2), shall clearly indicate the nature of non-compliance or default under the Act alleged to have been committed or made by such limited liability partnership, its partner or its designated partner, or any other person, as the case may be and also draw attention to the relevant penal provisions of the Act and the maximum penalty which can be imposed on such limited liability partnership, its partners or designated partners or any other person, as the case may be.

(4) The reply to such notice shall be filed in electronic mode only within the period as specified in the notice:

Provided that the adjudicating officer may, for reasons to be recorded in writing, extend the period referred to above by a further period not exceeding fifteen days, if the limited liability partnership or its partners or designated partners or any other person, as the case may be, satisfies the adjudicating officer that it or he has sufficient cause for not responding to the notice within the stipulated period or the adjudicating officer has reason to believe that the limited liability partnership or its partners or designated partners or any other person has received a shorter notice and did not have reasonable time to give reply.

(5) If, after considering the reply submitted by such limited liability partnership or its partners or designated partners, or any other person, as the case may be, the adjudicating officer is of the opinion that physical appearance is required, he shall issue a notice, within a period of ten working days from the date of receipt of reply fixing a date for the appearance of such limited liability partnership, through its authorised representative, or partners or designated partners, or any other person, whether personally or through his authorised representative:

Provided that if any person, to whom a notice is issued under sub-rule (2), desires to make an oral representation, whether personally or through his authorised representative and has indicated the same while submitting his reply in electronic mode, the adjudicating officer shall allow such person to make such representation after fixing a date of

IndiaCode

appearance.

(6) On the date fixed for hearing and after giving a reasonable opportunity of being heard to the person concerned, the adjudicating officer may, subject to reasons to be recorded in writing, pass any order in writing as he thinks fit including an order for adjournment:

Provided that after the hearing, the adjudicating officer may require the concerned person to submit his reply in writing on certain other issues related to the notice under sub-rule (2), relevant for determination of the default.

(7) The adjudicating officer shall pass an order -

(a) within thirty days of the expiry of the period specified in sub-rule (2), or of such extended period as referred therein, where physical appearance was not required under sub-rule (5);

(b) within ninety days of the date of issue of notice under rule (2), where any person appeared before the adjudicating officer under sub-rule (5):

Provided that in case an order is passed after the aforementioned duration, the reasons of the delay shall be recorded by the adjudicating officer and no such order shall be invalid merely because of its passing after the expiry of such thirty days or ninety days as the case may be.

(8) Every order of the adjudicating officer shall be duly dated and signed by him and shall clearly state the reasons for requiring the physical appearance under sub-rule (5).

(9) The adjudicating officer shall send a copy of the order passed by him to the concerned limited liability partnership, its partner or designated partner or any other person or all of them and to the Regional Director and a copy of the order shall also be uploaded on the website.

(10) For the purposes of this rule, the adjudicating officer shall exercise the following powers, namely: -

(a) to summon and enforce the attendance of any person acquainted with the facts and circumstances of the case after recording reasons in writing.

(b) to order for evidence or to produce any document, which in the opinion of the adjudicating officer, may be useful for or relevant to the subject matter of the inquiry.

(11) If any person fails to reply or neglects or refuses to appear as required under sub-rule (5) or sub-rule (10) before the adjudicating officer, the adjudicating officer may pass an order imposing the penalty, in the absence of such person after recording the reasons for doing so.

(12) Penalty shall be paid through Ministry of Corporate Affairs portal only.

(13) All sums realised by way of penalties under the Act shall be credited to the Consolidated Fund of India.

Explanation 1. – (a) For the purposes of this rule, the term "specified manner" shall mean service of documents as specified under sub-section (2) of section 13 and rules made thereunder and details in respect of address (including electronic mail ID) provided in the documents filed in the registry shall be used for communication under this rule.

(b) Service of documents on a limited liability partnership or its partners or designated partners or any other person shall include speed post or courier service or in any other manner through electronic transmission, at the registered office and any other address specifically declared by the limited liability partnership for the purpose in such form under sub-rule (3) of rule 16.

(c) In case of delivery by post, such service shall be deemed to have been effected at the time at which the document would be delivered in the ordinary course of post.

Explanation 2. **–** For the purposes of this rule, it is hereby clarified that the requirement of submission of replies in electronic mode shall become mandatory after the creation of the e-adjudication platform.

37B. Appeal against order of adjudicating officer. – (1) Every appeal against the order of the adjudicating officer shall be filed in writing with the Regional Director having jurisdiction in the matter within a period of sixty days from the date on which the copy of the order made by the adjudicating officer is received by the aggrieved party in Form No 33 - LLP ADJ setting forth the grounds of appeal and shall be accompanied by a certified copy of the order against which the appeal is sought:

Provided that the Regional Director may entertain an appeal after the expiry of the said period of sixty days, but within a further period of not exceeding thirty days, if it is satisfied that the appellant was prevented by sufficient cause from filing the appeal within the period so specified:

Provided further that where the party is represented by an authorised representative, a copy of such authorisation in favour of the representative and the written consent thereto by such authorised representative shall also be appended to the appeal:

Provided also that an appeal in Form No 33 - LLP ADJ shall not seek reliefs therein against more than one order unless the reliefs prayed for are consequential.

(2) Every appeal filed under this rule shall be accompanied by a fee of one thousand rupees for Small LLPs and two thousand and five hundred rupees for other than Small LLPs.

37C. Registration of appeal. – (1) On the receipt of an appeal, office of the Regional Director shall endorse the date on such appeal and shall sign such endorsement.

(2) If, on scrutiny, the appeal is found to be in order, it shall be duly registered and given a serial number:

Provided that where the appeal is found to be defective, the Regional Director may allow the appellant such time, not being less than fourteen days following the date of receipt of intimation by the appellant from the Regional Director about the nature of the defects, to rectify the defects and if the appellant fails to rectify such defects within the time period allowed as above, the Regional Director may by order and for reasons to be recorded in writing, decline to register such appeal and communicate such refusal to the appellant within a period of seven days thereof:

Provided further that the Regional Director may, for reasons to be recorded in writing, extend the period referred to in the first proviso above by a further period of fourteen days if an appellant satisfies the Regional Director that the appellant had sufficient cause for not rectifying the defects within the period of fourteen days referred to in the first proviso.

37D. Disposal of appeal by Regional Director. – (1) On the admission of the appeal, the Regional Director shall serve a copy of appeal upon the adjudicating officer against whose order the appeal is sought along with a notice requiring such adjudicating officer to file his reply thereto within such period, not exceeding twenty-one days, as may be stipulated by the Regional Director in the said notice:

Provided that the Regional Director may, for reasons to be recorded in writing, extend the period referred to in sub-rule (1) above for a further period of twenty-one days, if the adjudicating officer satisfies the Regional Director that he had sufficient cause for not being able to file his reply to the appeal within the above-said period of twenty-one days.

(2) A copy of every reply, application or written representation filed by the adjudicating officer before the Regional Director shall be forthwith served on the appellant by the adjudicating officer.

(3) The Regional Director shall notify the parties, the date of hearing of the appeal which shall not be a date earlier than thirty days following the date of such notification for hearing of the appeal.

(4) On the date fixed for hearing the Regional Director may, subject to the reasons to be recorded in writing, pass any order as he thinks fit including an order for adjournment of the hearing to a future date.

(5) In case the appellant or the adjudicating officer does not appear on the date fixed for hearing, the Regional Director may dispose of the appeal ex-parte:

Provided that where the appellant appears afterwards and satisfies the Regional Director that there was sufficient cause for his non-appearance, the Regional Director may make an order setting aside the ex-parte order and restore the appeal.

(6) Every order passed under this rule shall be dated and duly signed by the Regional Director.

(7) A certified copy of every order passed by the Regional Director shall be communicated to the adjudicating officer and to the appellant forthwith and to the Central Government.**".**

7. In the said rules**,** after Form 16, following form shall be inserted, namely:-

"FORM NO. 16A

[See rule 19A]

GOVERNMENT OF INDIA

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

Office of the Registrar of Companies

< Address of the RoC Office >

Certificate of Incorporation pursuant to change of name due to Order of Regional Director not being complied

[Pursuant to section 17(3) of the Limited Liability Partnership Act, 2008 read with rule 19A of the Limited Liability Partnership Rules, 2009]

Limited Liability Partnership Identity Number (LLPIN): <LLPIN>

I hereby certify that the name of the LLP has been changed under sub-section (3) of section 17 of the *Limited Liability Partnership* Act, 2008, from <Last Name of the LLP>to <New name of the LLP> with effect from the date of this certificate.

Given under my hand at < Name of the city where the ROC Office is located> this <Date of approval of the work item in words (i.e. FIRST, SECOND etc.)> day of <Month of approval of the work item in words> two thousand <YEAR of approval of the work item in words>

<Full name of the Authorising officer approving the work-item>

<Assistant Registrar of Companies/ Deputy Registrar of Companies/ Registrar of Companies>

Registrar of Companies

<Name of the RoC Office>

SEAL:

Registrar/Deputy Registrar of companies/Assistant Registrar of companies

(State)

Mailing Address as per record available in Registrar of Companies office:

< Name of the LLP >

< Address of the registered office of the LLP >".

8. In the said rules**,** for **Annexure** '**A**', the following Annexure shall be substituted, namely: **–**

"ANNEXURE 'A'

1. For registration of Limited Liability Partnership including conversion of a firm or a private company or an unlisted public company into Limited Liability Partnership:-

(a) Limited Liability Partnership whose contribution does not exceed Rs. 1 lakh	Rs. 500
(b) Limited Liability Partnership whose contribution exceeds Rs. 1 lakh but does not exceed Rs. 5 lakhs	Rs. 2,000
(c) Limited Liability Partnership whose contribution exceeds Rs. 5 lakhs but does not exceed Rs. 10 lakhs	Rs. 4,000
(d) Limited Liability Partnership whose contribution exceeds Rs. 10 lakhs but does not exceed Rs. 25 lakhs	Rs. 5,000
(e) Limited Liability Partnership whose contribution exceeds Rs. 25 lakhs but does not exceed Rs. 1 Crore	Rs.10,000
(f) Limited Liability Partnership whose contribution exceeds Rs. 1 Crore	Rs. 25,000

2. The difference between the fees payable on the increased slab of contribution and the fees paid on the preceding slab of contribution shall be paid through Form 3.

3. For Filing, registering, or recording any document, form, statement, notice, Statement of Accounts and Solvency, annual return and an application alongwith the Statement for conversion of a firm or a private company or an unlisted public company into LLP by the Act or by these rules required or authorised to be filed, registered or recorded:

(a) Limited Liability Partnership whose contribution does not exceed Rs. 1 lakh	Rs. 50
(b) Limited Liability Partnership whose contribution exceeds Rs. 1 lakh but does not exceed Rs. 5 lakhs	Rs. 100
(c) Limited Liability Partnership whose contribution exceeds Rs. 5 lakhs but does not exceed Rs. 10 lakhs	Rs. 150

IndiaCode

(d) Limited Liability Partnership whose contribution exceeds Rs.10 lakhs but does not exceed Rs. 25 lakhs Rs. 200

(e) Limited Liability Partnership whose contribution exceeds Rs. 25 lakhs but does not exceed Rs. 1 Crore Rs. 400

(f) Limited Liability Partnership whose contribution exceeds Rs. 1 Crore Rs. 600

4. Fee for filing, registering, or recording notice of appointment, cessation, change in name, address, designation of a partner or designated partner, intimation of Designated Partner Identification Number and consent to become a partner or designated partner in LLP Form No. 4:

For Small LLPs	Rs. 50
For Other than Small LLPs	Rs. 150

5. (1) Fee for any application other than application for conversion of a firm or a private company or an unlisted public company into LLP shall be as under :-

Sl. No.	**Application**	**Small LLPs (in rupees)**	**Other than Small LLPs (in rupees)**
(a)	For reservation of name under section 16 of the Act	Rs. 200	Rs. 200
(b)	For direction to change the name under section 17 of the Act	Rs. 5,000	Rs. 5,000
(c)	For striking off name of defunct Limited Liability Partnership under rule 37	Rs. 500	Rs 1,000

(2) Fee for an application under rule 18 (3):

(a)	Application for reservation of name under Rule 18(3)	Rs.10,000
(b)	Application for renewal of name under Rule 18(3)	Rs. 5,000

6. Fee for inspection of documents or for obtaining certified copy thereof shall be as under :-

(a) For inspection of documents of an LLP under section 36	Rs. 50
(b) For copy or extract of any document under section 36 to be certified by Registrar	Rs. 5/- per page or fractional part thereof

7. Fee for filing any form or a Statement of Account and Solvency or a notice or a document by foreign limited liability partnership

(a) For filing a document under rule 34(1)	Rs. 5,000
(b) Any other form or Statement of Account and Solvency or notice or document	Rs. 1,000

8. Following Table of additional fee shall be applicable for delay in filing of forms.

Sl. No.	**Period of delays**	**Small LLPs**	**Other than Small LLPs**
(a)	Upto 15 days	One time	One time
(b)	More than 15 days and upto 30 days	2 times of normal filing fees	4 times of normal filing fees
(c)	More than 30 days and upto 60 days	4 times of normal filing fees	8 times of normal filing fees
(d)	More than 60 days and upto 90 days	6 times of normal filing fees	12 times of normal filing fees
(e)	More than 90 days and upto 180 days	10 times of normal filing fees	20 times of normal filing fees
(f)	More than 180 days and upto 360 days	15 times of normal filing fees	30 times of normal filing fees
(g)	Beyond 360 days	25 times of normal filing fees	50 times of normal filing

IndiaCode

		for forms other than Form 8 and Form 11. For Form 8 and Form 11, 15 times normal filing fees plus Rs. 10 per day for every day delay beyond 360 days	fees for forms other than Form 8 and Form 11. For Form 8 and Form 11, 30 times normal filing fees plus Rs. 20 per day for every day delay beyond 360 days.

".

9. In the said rules, after Form No 32, the following form shall be inserted, namely:-

"FORM NO. 33 - LLP ADJ

Memorandum of Appeal

Pursuant to section 76A of the Limited Liability Partnership Act, 2008 and rule 37B of the Limited Liability Partnership Rules, 2009

Form Language o English o Hindi

Refer the instruction kit for filing the form.

Before the Regional Director
In the matter of the Limited Liability Partnership Act, 2008
And

In the matter of appeal against the order made on _____ **by** _____

1. ***Category of Appellant** _____

2. ***Limited Liability Partnership Identification Number (LLPIN)/ Foreign Limited Liability Partnership identification number (FLLPIN)** _____ **PRE-FILL**

3. **(a) Name of the Limited Liability Partnership (LLP)/ Foreign Limited Liability Partnership (FLLP)** _____

(b) Address of the registered office or principal place of business in India _____

(c) E-mail ID of the Limited Liability Partnership (LLP)/Foreign Limited Liability Partnership (FLLP) _____

4. ***Details of the Respondent**
(a) Adjudicating Officer _____
(b) Address _____

IndiaCode

5. *Section under which penalty was imposed

6. *Penalty imposed (Amount in Rupees)

7. *Reasons for delay

8. Specify the number of the Form (if any)

9. SRN of the Form specified above

10. *Synopsis of case

11. *Grounds of appeal

12. *Relief sought

13. *Interim relief sought, if any

14. *Date of issuing certified copy of penalty order

15. Due date by which the order has to be filed

16. Delay in days

17. *Jurisdiction of Regional Director

The appellant declares that the subject matter of appeal falls within the jurisdiction of the Regional Director.

IndiaCode

Attachments

List of attachments

1. * Certified copy of the order against which appeal is sought | **Attachment**

2. Optional attachments, if any | **Attachment**

Remove attachment

Declaration

☐ *** To the best of my knowledge and belief, the information given in this form and attachments is correct and complete.**

☐ **I am filing this form in my individual capacity as designated partner in default in the captioned matter and hereby certify that all the requirements of the Limited Liability Partnership Act, 2008 and rules made thereunder have been complied with in respect of subject matter of this form.**

☐ **I am filing this form in my individual capacity as authorized representative in the captioned matter and hereby certify that all the requirements of the Limited Liability Partnership Act, 2008 and rules made thereunder have been complied with in respect of subject matter of this form.**

☐ ***I also certify that all the information given herein above is true, correct and complete including the attachments to this form and are as per the requirements of the Limited Liability Partnership Act, 2008. Nothing material has been suppressed.**

☐ ***It is further declared that no other appeal, suit, civil revision or any other legal proceedings is pending before any authority on the similar matter.**

***To be digitally signed by designated partner/ authorized representative**

***DPIN of the Designated Partner/DPIN or Income Tax PAN of the authorised representative as appellant;**

Modify | **Check Form** | **Prescrutiny** | **Submit ".**

[F. No. 01/03/2021-CL.V]

K.V.R. MURTY, Jt. Secy.

Note : The principal rule, were published vide notification number G.S.R. 229 (E) dated the 1st April, 2009 and last amended vide notification number S.O. 896 (E) dated the 18th September, 2018.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2022.02.12 17:03:57 +05'30'